भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2224

(दिनांक 12.03.2025 को उत्तर देने के लिए)

ओटीटी प्लेटफार्मों संबंधी विनियम

2224. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाल ही में जनता के सरोकारों के प्रत्युत्तर में डिजिटल विषय-वस्तु, विशेषकर ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील सामग्री के संबंध में कड़े विनियम बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) विषय-वस्तु के नियंत्रण और सृजनात्मक स्वतंत्रता के बीच संतुलन सुनिश्चित करते हुए डिजिटल विषय-वस्तु को विनियमित करने के लिए किन-किन विशिष्ट उपायों पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) क्या प्रस्तावित विनियामक परिवर्तनों के संबंध में ओटीटी प्लेटफार्मों और सामग्री सृजकों सहित हितधारकों के साथ परामर्श किया गया है और यदि हां, तो प्रमुख परिणामों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ग): सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत 25 फरवरी, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) अधिसूचित किए हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित इन नियमों के भाग-III में ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रकाशक ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित नहीं करें, जो वर्तमान में लागू

कानून द्वारा निषिद्ध हो और नियमों की अनुसूची में दिए गए सामान्य दिशानिर्देशों के आधार पर सामग्री का आयु आधारित स्व-वर्गीकरण 5 श्रेणियों में करना होता है।

इसके अलावा आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(ख) में उपयुक्त सरकारों द्वारा गैर-कानूनी कार्य या सामग्री के बारे में मध्यस्थों को ऐसी सामग्री तक पहुंच को हटाने/अक्षम करने के लिए अधिसूचना का प्रावधान है।

ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील सामग्री के संबंध में, सरकार मौजूदा सांविधिक ढांचे के तहत ऐसी सामग्री के विरूद्ध कार्रवाई करती है।

****